निगरानी - 880- III/10

कबीरूद्दीन पिता रफीउद्दीन निवासी सिंहपुर, थाना शहडोल, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म0प्र0)

———आवेदक

बनाम

1— रामलखन पिता गजाधर प्रसाद मिश्रा, निवासी सिंहपुर, थाना व जिला शहडोल (म0प्र0)

2— म0प्र0 शासन

———अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क0—20/अपील/03—04 में पारित आदेश दिनांक 14/10/03

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :—

यह कि अनावेदक क0—1 द्वारा तहसीलदार सोहागपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा क0—1370 रकवा 8.29 ए0 स्थित ग्राम सिंहपुर के अंश रकवा 0. 10 ए0 जो कि सार्वजनिक निस्तार हेतु सुरक्षित है पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कराया जा रहा है अतः कार्यवाही की जाय । तहसीलदार महोदय ने बिना आवेदक को प्रकरण में विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही आवेदक के विरूद्ध धारा 248 म0प्र0 भू0रा0सं0 के अंतर्गत वादित भूमि से आवेदक को बेदखल करने व 200/— रू0 अर्थदण्ड जमा करने का आदेश पारित किया जिसकी जानकारी होने पर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय सोहागपुर जिला शहडोल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 880/II/10 जिला [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.7.16	आवेदक अभिभाषक मुकेश भार्गव अनुपस्थित। अनावेदक की ओर से कोई उप० नहीं। मध्यान्ह पश्चात उभयपक्षों को तीन बार पुकार लगवाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [illegible]	